

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्या:- 12/61/2024

रजू दिनांक: 08.04.2024

रजि0 न0 2024/97

अपीलार्थी:-

श्री वेद राठौड़, निवासी एन.डी.सदन देहली
रोड़, मूंगस्का अलवर, जिला अलवर
(राजस्थान)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर
विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)
301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 13.05.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 14.02.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 22.04.2024 को उपस्थित आवें। अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब आदिनांक तक अप्राप्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।
4. लोक सूचना अधिकारी के जवाब के अभाव में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास, अलवर को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रथम आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही निर्देशित किया जाता है, कि यदि सूचना देयता की श्रेणी में हो तो अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
5. निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
6. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)